

E-5705868

ACQ, GAN

No. A-12025/12/2020-Admn

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti


जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

(Administration Section/प्रशासन अनुभाग)


Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg

New Delhi, dated 18th May, 2026



55(1)

To



1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
2. To Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India
3. Public Sector Undertakings/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Semi-Government/Autonomous/Statutory Organisations.

Subject: - Filling up the post of Commissioner (CAD) in the Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti on deputation (including short-term contract) basis - Extension of last date of receipt of application - reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even no. dated 29.12.2025 & 20.03.2026 (copy enclosed) on the subject mentioned above and to state that the last date of receipt of application for the post of Commissioner (CAD), DoWR, RD & GR has now been extended by 15 days from the date of publication in Employment News.

Encl: As above

(Subhash Chand)


Under Secretary to the Govt. of India

Tel. 011-23738126

Email: usadmn-mowr@nic.in

Copy forwarded for similar action to: -

1. Attached & subordinate offices of D/o WR, RD & GR
2. All SJs in D/o WR, RD & GR
3. Under Secretary {CS-I(Coord)}, DoPT, 2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - with request to get the vacancy circular uploaded on DoPT's website for wider circulation.
4. NIC Cell, DoWR, RD & GR for uploading the vacancy circular on Department's website.



मुख्य सचिव कार्यालय
हाथी सं. 567
दिनांक 03/06/26

U.S-01

श्री 21/28
5/6/26
3510/40-01
5.6.2026

सं. ए. 12025/12/2020-प्रशा.
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
प्रशासन अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 18 मई, 2026

सेवा में


1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त/सांविधिक संगठन।

विषय: - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) आधार पर आयुक्त (सीएडी) के पद को भरे जाने से संबंधित - आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर इस विभाग के दिनांक 29.12.2025 एवं 20 मार्च, 2026 के समसंख्यक पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लेने और यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयुक्त (सीएडी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन बढ़ा दी गई है।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार


(सुभाष चंद्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23738126

ईमेल- usadmn-mowr@nic.in

प्रति कार्रवाई हेतु अग्रेषित: -

- i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
- ii. सभी आयुक्त/एसजेसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
- iii. अवर सचिव (सीएस-। (कोर्डिनेशन)) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा तल, 'ए' विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। इस रिक्ति परिपत्र के व्यापक परिचालन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- iv. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

No. A-12025/12/2020-Admn

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

(Administration Section/प्रशासन अनुभाग)

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi, dated 20th March, 2026

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
2. To Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India
3. Public Sector Undertakings/Agricultural Universities/Recognised Research Institutes/Semi-Government/Autonomous/Statutory Organisations.

Subject: - Filling up the post of Commissioner (CAD) in the Department of Water Resources, RD & GR, Ministry of Jal Shakti on deputation (including short-term contract) basis - Extension of last date of receipt of application - reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to this Department's letter of even no. dated 29.12.2025 (copy enclosed) on the subject mentioned above and to state that the last date of receipt of application for the post of Commissioner (CAD), DoWR, RD & GR has now been extended by 30 days from the date of publication in Employment News.

Encl: As above


(Signature)

Under Secretary to the GOVT. of India

Tel. 011-23738126

Email: usadmn-mowr@nic.in

Copy forwarded for similar action to: -

1. All attached & subordinate offices of D/o WR, RD & GR
2. All SJs in D/o WR, RD & GR
3. Under Secretary (CS-1(Coord)), DoPT, 2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khas Market, New Delhi - with request to get the vacancy circular uploaded on DoPT's website for wider circulation.
4. NIC Cell, DoWR, RD & GR for uploading the vacancy circular on Department's website.

सं. ए. 12025/12/2020-प्रशा.
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
प्रशासन अनुभाग

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2026

सेवा में


1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कृषि विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त/सांविधिक संगठन।

विषय: - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनिधित्व (आयुक्त/एसजेसी) आधार पर आयुक्त (सीपीसी) के पद को भरे जाने से संबंधित - आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाने के संबंध में।

महोदय/महोदय,

मुझे ऊपर उल्लिखित विषय पर इस विभाग के दिनांक 29.12.2025 के समसंख्यक पत्र (प्रतिस्थिति संलग्न) का संदर्भ लेने और पद बनाने का निर्देश दिया गया है कि आयुक्त (सीपीसी), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार सयाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन बढ़ा दी गई है।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार


अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23738126
ईमेल- usadmn-mowr@nic.in

प्रति कार्रवाई हेतु अग्रोहित: -

- i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
- ii. सभी आयुक्त/एसजेसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
- iii. अवर सचिव (सीएस-1) (कोऑर्डिनेटर) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा तल, ए विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। इस रिक्ति परिपत्र के व्यापक परिचालन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- iv. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, रिक्ति परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

No. A-12025/12/2020-Admn

भारत सरकार

Government of India

जल शक्ति मंत्रालय

Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

(Administration Section/प्रशासन अनुभाग)

Jal Shakti Bhawan, Balli Marg

New Delhi, dated 29th December, 2023

To

1. The Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories
2. To Secretaries of all the Ministries and Departments of Government of India
3. Public Sector Undertakings/Agricultural Universities/Recognized Research Institutes/Semi-Government/Autonomous/Statutory Organizations.

Subject: - Filling up the post of Commissioner (CAD) in the Department of Water Resources, RD & CR, Ministry of Jal Shakti on deputation (including short-term contract) basis-req.

Sir/Madam/Sir,

It is directed to all the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation proposes to fill up the post of Commissioner (General Area Development), a General (Central Service, Group 'A' Banded, Non-Ministerial post in the Level-13 of the pay matrix on deputation (including short-term contract) basis.

Eligibility

2. Officers of the Central Government or State Governments of Union Territories or Agricultural Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organizations are eligible who has following qualifications-

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department or
 - (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or
 - (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:-
- (i) Master's Degree in Civil Engineering or Soil and Water Conservation Engineering or Agricultural Engineering or a Master's Degree in Agricultural Science from a recognized University; and
 - (ii) Fifteen years' practical experience in General Area Development or irrigation related work in the irrigation or agricultural Department of a State Government or

Central Government or in any recognised Agricultural University or in any agricultural training or Research or Management Institute.

2. The total period of deputation (including short term contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five (05) years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.


3. The officer selected on deputation basis will have the option to draw his pay in the pay matrix in the parent cadre plus deputation (diary) allowance or to have his pay fixed in the pay matrix of the deputation post subject to the restrictions contained in the Department of Personnel & Training O.M. No. 2/29/91-(Part II), dated 17.06.2010, as amended from time to time.

4. It is requested that wide circulation may be given to the post and applications of eligible and willing officers (in triplicate) duly completed and signed by the officer concerned in the enclosed proforma (Annexure A) & countersigned by the sponsoring authority along with requisite certificate/documents may be forwarded to the undersigned within 60 days from the date of publication of advertisement in the Employment News. While forwarding the applications the sponsoring authority may certify that:

- i. particulars given by the applicant are correct
- ii. His/her integrity is certified
- iii. There is no vigilance or disciplinary case is either pending or contemplated against the applicant.
- iv. No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years or a list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed (if the case may be)
- v. His/Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the AFAs for the last five (5) years duly attested on each page by an officer not below the rank of Under Secretary or equivalent.

5. Advance copy of application may be forwarded by email to usdpm-mowr@nic.in or usdm-mowr@nic.in. Advance copies of application or application received after the prescribed period or not accompanied with the requisite information/ documents are liable to be rejected.

Yours faithfully,


Under Secretary to the Govt. of India
Tel. 011-23736124
Email: usdpm-mowr@nic.in

Copy forwarded for similar action:-


- i. All attached & subordinate offices of D/o WR, RD & GR
- ii. All Commissioners/Offices in D/o WR, RD & GR
- iii. Under Secretary (CS-4/Coord), DoPT, 2nd Floor, 'A' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi with request to get the vacancy circular uploaded on DoPT's website for wider circulation.
- iv. NIC Cell, DoWR, RD & GR for uploading the vacancy circular on Department's website

सं. ए.12025/12/2020-प्रसा.

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संयोजन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग



ग्राम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/प्राथमिक विधिविभाग/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/आई.आई.टी./एन.आई.टी./सर्वोदय संस्थान।

विषय - जल संयोजन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में प्रतिनिधित्व (आयोजन/सिद्धि) आधार पर आनुसंधान (सीआई) के पद को भी भर्ती से संबंधित।

संदर्भ/संबंधित

मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि जल संयोजन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय प्रतिनिधित्व (आयोजन/सिद्धि) आधार पर स्थापित केंद्रीय सेवा समूह का सार्वजनिक, अनुसंधान/विशेष पद के पदानुक्रम स्तर-14 में आनुसंधान (सीआई) के पद को भी भर्ती करना प्रस्तावित है।

प्रास्ता

2. केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा कृषि विधिविभागों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा प्राथमिक विधिविभाग अथवा आई.आई.टी./एन.आई.टी./सर्वोदय संस्थानों के अधिकारों, जो नियतित शर्तों को धारण करते हैं, पात्र होंगे।

(क) (i) मूल संदर्भ अथवा विभाग में नियमित आधार पर समान पद पर हों; अथवा

(ii) नियमित के समान, मूल संदर्भ अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन भेदिक के स्तर 13 अथवा इसके समतुल्य पद में तीन वर्षों की सेवा; अथवा

(iii) नियमित के समान, मूल संदर्भ अथवा विभाग में नियमित आधार पर वेतन भेदिक के स्तर 12 अथवा इसके समतुल्य पद में तीन वर्षों की सेवा; और

(ख) निम्नलिखित धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव-

(a) मान्यता प्राप्त विधिविभाग से सिविल इंजीनियरिंग अथवा मूल और जल संयोजन इंजीनियरिंग अथवा कृषि इंजीनियरिंग अथवा कृषि विभाग में पर्यवेक्षण अधिकारी; और

(b) राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विधिविभाग अथवा किसी कृषि विधिविभाग अथवा अनुसंधान अथवा प्रबंधन संस्थान के सिविल अथवा कृषि विभाग में कमान ट्रेन विकास या सिविल कार्य में पर्यवेक्षण अधिकारी का व्यावहारिक अनुभव।

3. प्रतिनिधित्व की मूल शर्तों (आयोजन/सिद्धि) केन्द्र सरकार के विभाग के समान अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में एक नियमित से मूल पदों परित अन्य जल संयोजन पद पर प्रतिनिधित्व की

अथवा साधारणतया (अल्पकालिक सविदा सहित) पांच (05) वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तारीख तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. चयनित अधिकारियों के पास, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के का.जा. सं. 2/29/91-वि.न-।। (समय-समय पर यथा संबंधित) द्वारा प्रतिबंधित शर्तों के अनुसार अपने मूल संवर्ग में मैट्रिक के अनुसार अपने वेतन और प्रतिनियुक्ति (अनुदी) भत्ता आवंटित करने अथवा प्रतिनियुक्ति पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

5. अनुबंध किया जाता है कि पद का व्यापक प्रकार किया जाए और पात्र और इच्छुक अधिकारियों द्वारा संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक क) में संबंधित अधिकारियों के संबंध विवरण (तीन प्रतियों में) इच्छाधर और प्राथमिक प्राथमिकता के प्रति इच्छाधर सहित अपेक्षित प्रमाण-पत्र/दस्तावेजों के साथ लेखपत्र समुच्चय में यह विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अधोस्तराधिकारी को अपेक्षित करते समय प्राथमिकता प्राथमिकता को यह प्राथमिकता करना होगा कि:

- i. आवेदनक द्वारा दिया गया विवरण सही है।
- ii. अधिकारियों की सार्वजनिक प्राथमिकता है।
- iii. आवेदनकर्ता के शिक्षण कोई सरकारी या अनुसंधान-सम्बन्धित सम्पत्ता न हो लक्षित है और न ही विचारणीय है।
- iv. पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदनकर्ता पर किसी भी प्रकार की सजा/दंडनीय शक्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदनकर्ता पर लगाई गई सजा/दंडनीय शक्तियों की सूची (आपत्ति के अनुसार) संलग्न है।
- v. आवेदनकर्ता को पिछले पांच वर्षों की मूल वेतन प्रतिनियुक्ति/अनुदी/अनुदी की प्रतियों का प्रत्येक पृष्ठ कम से कम अपर सीमा या इससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा सत्यापित करके संलग्न की जाए।

6. आवेदन की अंतिम प्रति ई-मेल द्वारा scs@nic.in या admn-mow@nic.in पर अपेक्षित की जा सकती है। निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले अंतिम आवेदन अथवा अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों के अभाव में ऐसे आवेदनों का निराकरण किया जाएगा।

भवदीय,

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 011-23733126
ईमेल- scs@nic.in या admn-mow@nic.in

प्रति कार्रवाई हेतु अपेक्षित :-

- i. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
- ii. सभी आयुक्त/एग्जिक्यूटिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग।
- iii. अवर सचिव (ऑफिस - 1, (एडमिनिस्ट्रेशन) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, दूसरा तल, ए. विंग, लोक न्यायक भवन, जल सचिवालय, नई दिल्ली। इस विहित करण के व्यापक परिचालन हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- iv. एनआईसी सेल, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, निम्नलिखित परिपत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।